लोक स्वातंत्र्य संगठन (लोस्वासं)

People’s Union for Civil Liberties (PUCL)

संविधान

Constitution

राष्ट्रीय कार्यालयः 270-ए, भूतल, पटपड़गंज, आनंद लोक अपार्टमेंट
(गेट नं. 2 के सामने), मयूर विहार, फेज़-1, दिल्ली-110091
फोन नं. 011-22750014; ईमेलः puclnat@gmail.com
वेबसाइटः <www.pucl.org>

बुक-पोस्ट

(बुक-पैकेट (प्रिंटेड बुक))

लोक स्वातंत्र्य संगठन

लोक स्वातंत्र्य संगठन की स्थापना स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने आपात्काल में अक्टूबर 1976 में की थी। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया।

शुरू में यह संस्था सदस्यता पर आधाारित नहीं थी। 22-23 नवम्बर 1980 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन में इसे सदस्यता आधारित संस्था का रूप दिया गया।

सम्मेलन ने लोस्वासं का संविधाान अपनाया जो निम्नलिखित है।

जो व्यक्ति लोस्वासं के उद्देश्यों और लक्ष्यों का अनुमोदन करते हों और उसके विनियमों और अधिनियमों से सहमत हों उनको इस संस्था में सम्मिलित होने का आमन्त्रण है।

संविधान

(4 सितम्बर 2010 तक हुए संशोधन सहित)

1. नाम

इस संस्था का नाम **लोक स्वातंत्र्य संगठन** (**लोस्वासं**) होगा।

2. उद्देश्य और लक्ष्य

लोक स्वातंत्र्य संगठन उन सब व्यक्तियों को जो भारत में लोक स्वतंत्रताओं की रक्षा और उनके प्रोत्साहन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, भले ही देश के लिए राजनैतिक और आर्थिक ढ़ांचे की उपयुक्तता के सम्बन्ध में उनमें मत भिन्न होता, एकजुट करने का प्रयत्न करेगा।

इस संस्था के उद्धेश्य और लक्ष्य इस प्रकार होंगे:

(क) देश भर में शांतिपूर्ण तरीकों से लोक स्वतंत्रताओं और लोकतंत्रात्मक जीवन बनाए रखना और उसे प्रोत्साहित करना;

(ख) वैयक्तिक मर्यादा के सिद्धान्त की स्वीकृति के लिए चेष्टा करना;

(ग) दण्डविधि और फौज़दारी कानून को मानवोचित और उदारचित्त सिद्धान्तों से समन्वित करने के लिए लगातार उनका पुनरावलोकन करते रहना;

(घ) निवारक नज़रबन्दी सहित सभी दमनकारी कानूनों के रद्द करने और वापसी के लिए प्रयत्न करना;

(ड.) विचार की स्वतन्त्रता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक विसम्मति के अधिकार की रक्षा करना;

(च) समाचार पत्रों की स्वाधीनता और रेडियो तथा टेलीविजन जैसे जन-माध्यमों की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहना;

(छ) कानून की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील रहना;

(ज) निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करना;

(झ) लोक स्वन्त्रताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करना;

(ञ) न्याय प्रणाली में इस प्रकार के सुधारों के लिए प्रयत्नशील होना जिनसे अत्यधिक विलम्ब समाप्त हो सके, खर्चीलापन घटे तथा असमानता न रहे;

(ट) जेल सुधार की चेष्टा करना;

(ठ) पुलिस की ज़्यादतियों और यन्त्रणा के तरीकों के इस्तेमाल का विरोध करना;

(ड़) धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्मस्थान पर आधारित भेदभाव का विरोध करना;

(ढ़) छुआछूत, जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि ऐसी सभी सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष करना जो लोक स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करती हैं;

(ण) समाज के कमजोर अंगों, स्त्रियों और बच्चों की लोक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए विशेषत: प्रयत्नशील होना;

(त) उपरोक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पूरक और प्रासंगिक कदम उठाना।

3. सदस्यता के मानक

(क) प्रत्येक वह वयस्क व्यक्ति जो यह विश्वास रखता हो कि भारत में वर्तमान में और भविष्य में नागरिक स्वतंत्रताएं किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए, भले ही देश में किसी भी प्रकार के आर्थिक और राजनैतिक परिवर्ततन आएं, इस संस्था की सदस्यता का पात्र होगा।

(ख) राजनैतिक दलों के सदस्य, यदि वह इस संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों में विश्वास रखते हों, व्यक्तिगत रूप से इसके सदस्य बन सकेगें।

निम्नलिखित के अलावा उन्हें सदस्यता के सभी अधिकार होंगें:

(१) संस्था या इसकी शाखाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अन्य सचिव, और कोषाध्यक्ष किसी राजनैतिक दल के सदस्य नहीं होंगे;

(२) राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य और स्थानीय स्तर पर इनकी संगत समितियों के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो किसी राजनैतिक दल के सदस्य न हों;

(३) किसी एक राजनैतिक दल के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद् राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, तथा राज्य और स्थानीय स्तर पर इनकी संगत समितियों में, अधिक से अधिक दस प्रतिशत हो सकते हैं।

(ग) सदस्यता शुल्क पचास रूपये प्रति वर्ष होगा और वर्ष में एक बार लिया जायेगा। छात्र सदस्य और पच्चीस वर्ष के कम आयु वाले, न कमाने वाले सदस्य, दस रूपये प्रति वर्ष शुल्क दे सकते हैं। प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी समिति समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को, जैसे श्रमिक और किसान, दस रूपये प्रति वर्ष के शुल्क पर सदस्य बना सकती है।

(घ) जो व्यक्ति एक मुश्त एक हजार रूपये दें वे आजीवन सदस्य होंगे। जो व्यक्ति दो हजार रूपये दें वे संस्था के संरक्षक सदस्य होंगे।

(ड़) राष्ट्रीय परिषद् को, दो तिहाई के बहुमत से, किसी व्यक्ति को सदस्यता से इनकार करने का या सदस्यता से निष्कासन का अधिकार होगा। प्रत्येक राज्यशाखा की परिषद् को भी अपने राज्य के सम्बन्ध में यह अधिकार होगा।

3 (क). संस्थागत सदस्यता:

व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा संस्थागत सदस्य भी हो सकते हैं। राजनैतिक दलों और उनसे सम्बद्ध समूहों को छोड़कर सभी स्वैच्छिक समूह और संस्थायें जिनका लोस्वांस के उद्देश्यों और लक्ष्यों में विश्वास है और जो इसमें सम्मिलित होना चाहती हैं वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सम्पूरक नियमों के अनुसार इसके सदस्य होने के अधिकारी होंगी।

4. राष्ट्रीय सभा

(क) दो वर्ष में एक बार संस्था की राष्ट्रीय सभा होगी।

(ख) राष्ट्रीय सभा संस्था के काम की समीक्षा करेगी और भविष्य के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित करेगी।

5. राष्ट्रीय परिषद्

(क) राष्ट्रीय परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(ख) दो राष्ट्रीय सभाओं के बीच के काल में राष्ट्रीय परिषद् संगठन की नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करेगीं।

(ग) राष्ट्रीय परिषद्, आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष, एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष, एक या एक से अधिक महासचिव, एक या एक से अधिक सहायक सचिव, तथा कोषाध्यक्ष चुनेगी, जैसा धारा 7(2) में वर्णित है।

6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप संगठन के विकास और कार्य की देखभाल करेगी।

(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति भारत के प्रत्येक राज्य में संस्था की शाखाएं संगठित करने के प्रयत्न करेगी।

(ग) दो राष्ट्रीय सभाओं और राष्ट्रीय परिषद् की बैठकों के बीच के काल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी।

7. राष्ट्रीय निकायों का चुनाव एवं गठन, राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना

(क) आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन के कम से कम छः माह पूर्व महासचिव राज्य शाखाओं को लिखेगें कि वे राष्ट्रीय परिषद् के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, यथासंभव आम राय से कर लें। महासचिव राज्यों को सूचित करेंगे कि उन्हें कितने सदस्यों का निर्वाचन करना है और यह महासचिव द्वारा राज्य शाखाओं को भेजे गए उपर्लिखित पत्र के समय राष्ट्रीय कार्यालय के रिकार्ड में राज्य में लोस्वासं की सदस्यता के समानुपाती होगा। इन नामों के अतिरिक्त राज्य शाखा का महासचिव राष्ट्रीय परिषद् का पदेन सदस्य होगा। राज्य के प्रतिनिधियों का नाम इस पत्र प्राप्ति के दो

माह के भीतर महासचिव को संसूचित किया जाएगा। (राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव राष्ट्रीय परिषद् / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के लिए कुछ व्यक्तियों का आवश्यकतानुसार मनोनयन भी कर सकते हैं।)

(ख) वर्तमान अध्यक्ष एवं लोस्वासं के अन्य पद धारकों की कार्यविधि की समाप्ति के कम से कम तीन माह पूर्व राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक होगी जिसमें राज्य के प्रतिनिधियों में राज्य महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव के द्वारा मनोनीत सदस्य यदि वे हों, शामिल होंगे। बैठक का स्थान महासचिव व अध्यक्ष की मंत्रणा से निर्धारित करेगा। आम सहमति से या जरूरत पड़ने पर मत द्वारा, राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक आगामी सत्र के लिए जो आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन के दिन आरंभ होगा धारा 5(ग) में उल्लिखित पदधारकों के संबंध में निर्णय लेगी।

(ग) राष्ट्रीय परिषद् की उपर्लिखित बैठक लोस्वासं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का भी निर्वाचन करेगी जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, अन्य पदधारक, सभी पूर्व अध्यक्ष एवं ऐसे सारे सदस्य शामिल होंगे जिनके बारे में राष्ट्रीय परिषद् की आम सहमति द्वारा निर्णय लिया जाए या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा मनोनीत किए जाएं।

(घ) पदमुक्त अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद् एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति दोनों का पदेन सदस्य होगा।

(ड़) राष्ट्रीय परिषद् की उपरिलिखित बैठक राष्ट्रीय अधिवेशन की तिथि एवं स्थान भी तय करेगी।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति विषय समिति के रूप में काम करेगी और राष्ट्रीय अधिवेशन के एक दिन पूर्ण अधिवेशन में चर्चा के लिए प्रस्ताव इत्यादि पर निर्णय लेगी। लोस्वासं के सदस्य जो प्रस्ताव करना चाहें, वे उन्हें अधिवेशन के एक माह पूर्व महासचिव को भेजेंगे।

8. राज्य और स्थानीय शाखाएँ

(क) महासचिव के अनुमोदन में किसी भी राज्य में संस्था के सदस्य एक राज्य शाखा का गठन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में महासचिव, अध्यक्ष से परामर्श करें।

(ख) जहाँ तक संभव हो, लोस्वासं के महासविच के परामर्श से, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर समान ढंग की कार्यप्रणाली एवं निर्वाचन की व्यवस्था अपनायी जाएगी।

(ग) जहाँ तक संभव हो राज्य परिषद् एवं राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन भी महासचिव की मंत्रणा से धारा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) राज्य सम्मेलन, राज्य परिषद्, राज्य कार्यकारिणी समिति, और राज्य शाखा के पदाधिकारियों पर उपर्लिखित धाराओं 4,5,6 और 7 के अनुरूप व्यवस्थायें लागू होंगी।

(ड़) प्रत्येक राज्य शाखा कुल प्राप्त सदस्यता शुल्क का एक-तिहाई केन्द्रीय संगठन को भेजेगी; दो-तिहाई राज्य शाखा के पास रहेगा जो संबंधित शाखा के साथ बराबर-बराबर विभाजित होगी।

(च) आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों द्वारा प्रदत्त राशि का चालीस प्रतिशत राष्ट्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। केन्द्रीय स्तर पर बने ऐसे सदस्यों की कुल राशि वहीं रख ली जाएगी।

(ज) **संपूरक नियमः** जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति संपूरक नियम बना सकेगी।

(झ) **संशोधनः** राष्ट्रीय परिषद् अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से सदस्यता की धारा 3(क) में निर्धारित सदस्यता के मानक एवं संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य को छोड़कर, संविधान को संशोधित कर सकेगी।

संविधान की धारा ३(क) के संन्दर्भ में संस्थागत सदस्यता के सम्पूरक नियमः

1. वे समूह व संस्थाएं जो लोस्वासं के संथागत सदस्य बनना चाहती है (क) लोस्वासं के उद्देश्यों और लक्ष्यों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगी और (ख) अपने उपनियमों के अनुसार निर्णय लेकर सदस्यता के लिए आवेदन करेंगी।
2. लोस्वासं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को आवेदन पर भली-भांति विचार करके आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
3. संस्था या समूह के आकार या प्रकृति पर धयान दिये बिना प्रत्येक समूह या संस्था को सौ रूपये वार्षिक शुल्क देना होगा। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को शुल्क घटाने का अधिकार होगा।
4. किसी राज्य में कार्यरत समूह या संस्था को राज्य परिषद् के लिए एक प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।
5. दो या अधिक राज्यों में कार्यरत प्रत्येक समूह या संस्था को राष्ट्रीय परिषद् में एक प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।
6. किसी एक राज्य के सभी संस्थागत सदस्य, यदि उनकी संख्या पाँच से कम हो तो एक, और पांच या अधिक हो तो दो प्रतिनिधि राज्य कार्यकारिणी समिति में भेजने के अधिकारी होंगे।

7. राष्ट्रीय परिषद् से सभी संस्थागत सदस्य, मिलकर, यदि उनकी संख्या दस से कम है तो एक और दस या अधिक है तो दो सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भेजने के अधिकारी होंगे।
8. ऊपर धारा 6 व 7 में वर्णित प्रतिनिधित्व बारी के आधार पर या संस्थागत सदस्यों के परस्पर समझौते के आधार पर हो सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष के परामर्श से निर्णय करने का अधिकार उन्हीं को होगा।

महासचिव, राष्ट्रीय लोक स्वातंत्र्य संगठन